

प्रेषक,

जयदेव सिंह,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
मा0 उच्च न्यायालय परिसर,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक: 24 फरवरी, 2014

विषय- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधीनस्थ समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के कार्यालय हेतु सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लेखालिपिक तथा आशुलिपिक के पदों का सृजन किया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र सं0 793/I-i-1/2012/रा0वि0से0प्रा0/2013 दिनांक 20.12.2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधीनस्थ समस्त 13 जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के कार्यालयों में कार्यों के सुचारु रूप से संचालनार्थ निम्नलिखित अस्थायी पदों को शासनादेश निर्गत होने के दिनांक अथवा भरे जाने के दिनांक, जो भी बाद में हो, से दिनांक 28.02.2015 तक के लिए बशर्ते कि इसके पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिया जाय, सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

क्र0सं0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	सिविल जज (प्रवर खण्ड)/ सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण	13	39530-54010+ अन्य भत्ते
2	लेखा लिपिक	13	5200-20200 ग्रेड पे 2800
3	आशुलिपिक	13	5200-20200 ग्रेड पे 2800
	कुल पद	39	

2- उक्त पदों के धारको को उक्त पद के वेतन के अलावा शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार अनुमन्य मंहगाई एवं अन्य भत्ते भी अनुमन्य होंगे।

3- उक्त पदों के सृजन के फलस्वरूप तदविषयक संवर्ग में अस्थायी अभिवृद्धि के रूप में माने जायेगें। उक्त सृजित पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही नियमानुसार विद्यमान शासनादेश एवं नियमवाली के अनुसार सम्पादित की जायेगी।

क्रमश.....2

(2)

4- उक्त पदों के सृजन पर होने वाला व्यय सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में आय-व्यय के अनुमान संख्या "2014 न्याय प्रशासन-00 आयोजनागत-800-अन्य व्यय-06 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयो के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: 282 /XXXVII(7)/2014 दिनांक 24.02.2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,


(जयदेव सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या- 396(1)XXXVI(1)/ 2014-184/2001 टी0सी0 तददिनांकित

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराँय भवन, माजरा देहरादून।
2. महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
4. वित्त (वे0आ0-वित्त नियं0) अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन।
5. एन0आई0सी0 / गार्ड फाईल।

आज्ञा से


(राकेश कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव